न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 67/2022

राजस्थान सरकार जरिये श्री खान मोहम्मद खां प्रर्वतन निरीक्षक पीसांगन.

...................प्रार्थी

बनाम

1–श्री नरेन्द्र जैन पुत्र श्री कॅवरीलाल जैन, निवासी ग्राम मांगलियावास, तहसील पीसांगन जिला अजमेर पुलिस थाना मागलियावास
2–श्री राजकुमार गहलोत उर्फ राजू पुत्र श्री हनुमान प्रसाद गहलोत निवासी श्रृंगार चंवरी, अजमेर जिला अजमेर पुलिस थाना अलवरगेट
3–श्री प्रदीप गुप्ता पुत्र श्री त्रिलोकचंद गुप्ता, ई–42, मंगोलपुरी इण्डस्ट्रीयल एरिया फैज–02, नई दिल्ली 1100631
4–श्री सुबे सिंह पुत्र श्री राम सिह निवासी मेनपुरा, सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर
5–श्री कालू उर्फ अनुज जैन पुत्र श्री नरेन्द्र जैन निवासी ग्राम मांगलियावास, तहसील पीसांगन जिला अजमेर पुलिस थाना मांगलियावास।

.........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित ;.–

1. श्री नीरज जैन प्रर्वतन अधिकारी	पेराकार सरकार
2. श्री कन्हैया सिंह अभिभाषक	अप्रार्थी 3

आदेश

दिनांक 12.06.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 4 अजमेर के फौजदारी अपील संख्या 376/2023 उनवान श्री प्रदीप गुप्ता जरिये मुख्तयारआम अलीमाम हसन बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2024 इस आशय से प्राप्त हुआ कि हाजा न्यायालय का रसद प्रकरण संख्या 67/2022 बउनवान सरकार जरिये प्रर्वतन निरीक्षक बनाम श्री नरेन्द्र जैन वगैरह में पारित आदेश दिनांक 02.08.2023 को अपीलार्थी की हद तक अपास्त किया जाता है एवं पत्रावली पुनः विद्वान न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि विद्वान विचारण न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर उक्त आदेश से प्रभावित हुए बिना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के सबंध में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधिनुसार आदेश पारित करे। उपरोक्त की पालना में प्रकरण प्राप्त होने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि दिनांक 12.12.22 को जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर मय प्रर्वतन स्टॉफ, एवं डी. एस.टी पुलिस दल अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग एन एच 8 होटल सहयोग ग्राम मांगलियावास के पास एल.पी.जी टैंकर से गैस सिलेण्डरो में गैस रिफलिंग की सूचना पर मौके पर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

पहुँचकर जांच कार्यवाही की गयी जिसमें एक बडा एल.पी.जी. टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे.18 जी.बी. 4826 भारत पैट्रोलियम कम्पनी के वाल्व से एक जुगाड यन्त्र से जोडकर एक साथ पॉच सिलेण्डरो में गैस भरते पाया गया। टैंकर चालक सुबे सिंह जॉच दल को देखकर टैंकर छोडकर मौके से भाग गया। मौके पर उपस्थित पाये गए श्री नरेन्द्र जैन पुत्र श्री कॅवरीलाल जैन, निवासी मार्गलियावास ने यह स्थान किराये पर लेना एवं एल.पी. जी. टैंकर से गैस निकालकर सिलेण्डरो में रिफलिंग करना एवं गैस सिलेण्डरो को विक्रय करने का व्यवसाय करना पाया। इस कार्य में नरेन्द्र के साथ उसका पुत्र कालू उर्फ अनुज जैन भी यह व्यवसाय करता है जो मौके पर जॉच दल को देखकर भाग गया। वक्त जांच मौके पर राजकुमार गहलोत उर्फ राजू गहलोत निवासी श्रृंगार चंवरी एक टैम्पों रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे. 36 जी.ए 4399 में 26 सिलेण्डर व्यावसायिक श्रेणी के क्षमता 19 किग्रा लेकर श्री नरेन्द्र जैन के पास भरवाने आया। श्री नरेन्द्र द्वारा प्रति सिलेण्डर 1400/- रूपये में बेचना एवं राजू गहलोत द्वारा आगे ग्राहको को 1600/- रूपये प्रति सिलेण्डर बेचने का व्यवसाय करना बताया गया। वक्त जॉच एल.पी.जी. टैंकर आर.जे. 18 जी.बी 4826 के पास जमीन पर 41 सिलेण्डर रखे पाये गये जिनमें 39 व्यवसायिक श्रेणी के एन. डी. एवं 02 घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर होना पाये, जिनकी जॉच में 26 सिलेण्डर एन.डी. एवं 01 घरेलू सिलेण्डर गैस भरा होना पाया तथा 13 एन.डी. एवं 01 घरेलू सिलेण्डर खाली पाया। सिलेण्डरो की जॉच करने एवं तोल करवाये जाने पर सिलेण्डरो में कुल 500 किग्रा 300 ग्राम एल.पी.जी. भरा होना पाया। उक्त टैंकर एवं सिलेण्डरो के पास एक जुगाड पाईप दो इंच मोटाई का जिसमें एक और फ्लैंच व दूसरी ओर पांच रिफलिंग शॉकेट मय वाल्व फिटेड पाया गया तथा एक रिंच पाना, एक प्लेटफार्म कान्टा भी रखा पाया गया जो कि गैस सिलेण्डरो का वजन करने में प्रयुक्त किया जाता है। इसी परिसर में एक कोने में बने कमरे में 07 घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर लाल रंग के खाली रखे पाये है तथा सिलेण्डरो के साथ कमरे में एक प्लेटफार्म कान्टा, एक फिक्स पाना, एक रिंच पाना, एक पलाश, एक गैस भट्टी, एक हैयर ड्रायर एवं एक इलेक्ट्रिक बोर्ड मय केबल जुडा पाया गया। इसी परिसर में एक वाहन टैम्पों आर.जे.36 जी.ए 4399 जो राजकुमार गहलोत लेकर आया उसमें 26 एन.डी. सिलेण्डर रखे है कि जॉच करने पर सभी व्यवसायिक श्रेणी क्षमता 19.0 किग्रा होना पाया तथा सभी सिलेण्डर खाली होना पाया गया। वक्त जॉच से भारत पेट्रोलियम कम्पनी के अधिकारियों को सूचित करने पर उनके प्रतिनिधि श्री दिपेन्द्र डिप्टी मैनेजर प्लान्ट बी.पी.सी.एल लवेरा अजमेर मौके पर उपस्थित हुए तथा एल.पी.जी. टैंकर आर.जे. 18 जी.बी. 4826 की जॉच की तथा टैंकर में रखे दस्तावेज निकालकर जानकारी दी कि वाहन का मालिक प्रदीप गुप्ता ई 42, मंगोलपुरी इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज 02, नई दिल्ली 110063 है तथा यह टैंकर मुन्द्रा एल.पी.जी. टर्मिनल गुजरात से दिनांक 11.12.22 को समय सुबह 6.10 बजे रवाना हुआ, जिसमें 17465 किग्रा एल.पी.जी. भरकर अजमेर एल.पी.जी प्लान्ट भारत पेट्रोलियम को सप्लाई के लिए रवाना हुआ जिसका वाहन चालक सुबेसिंह पुत्र रामसिंह पता मैनपुरा सवाईमाधोपुर राजस्थान है, वक्त जॉच उपस्थित व्यक्तियों को पास एल.पी.जी. रिफलिंग, एल.पी.जी व्यवसाय एवं एल.पी.जी भण्डारण सम्बन्धी कोई अनुज्ञापत्र व अनुमति पत्र नहीं होना पाया गया तथा इनका यह कृत्य बिना सुरक्षा मानको के गैस रिफलिंग करना मानव जीवन के लिए घोर हानिकारण व जोखिमपूर्ण है जिसमें किसी बडी दुर्घटना की प्रबल सम्भावना थी। वक्त जॉच अवैध गैस रिफलिंग कार्य प्रमाणित पाये जाने पर टैंकर संख्या आर.जे. 18 जी.बी. 4826 को मय एलपीजी लगभग 17000 किलोग्राम कब्जेराज किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से दिपेन्द्र डिप्टी प्लान्ट मैनेजर बी.पी. सी.एल अजमेर को प्लान्ट में सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किया गया तथा मौके पर पाये कुल

74 गैस सिलेण्डर है एवं गैस भरने का जुगाड यन्त्र, दो प्लेटफार्म कॉटे, दो रिंच पाने एक गैस भट्टी एवं इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर, एक फिक्स पाना, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड मय केवल को कब्जेराज कर श्री शैलेन्द्र जांगिड, प्रोपराइटर जेठाना इण्डेन ग्रामीण गैस एजेन्सी को यथा सुपुर्दगी में दिये गये एवं मौके से एक टैम्पो आर.जे. 36 जी.ए 4399 राजकुमार गहलोत से एवं वाहन आर.जे. 01 सी ई 9127 एसक्रोस कार श्री नरेन्द्र जैन से जब्त कर पुलिस थाना मांगलियावास को सुरक्षित कस्टडी में रखवाई गयी। इस प्रकार अभियुक्तो का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 के क्लॉज 4(1)(a)(b)(c)(d)(2) 6 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डनीय अपराध है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अवैध रूप से किये गये उक्त एक बीपीसीएल एलपीजी गैस टैंकर मय लगभग 17000 किलोग्राम एल.पी.जी रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे.18 जी.बी. 4826, को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस मे वाहन छोडने हेतु प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट कि अप्रार्थी संख्या 3 एलपीजी टेंकर का स्वामी है जिसे वाहन चालक अप्रार्थी संख्या 4 श्री सुबे सिह पुत्र श्री रामसिंह चलाता है और वह ही उसकी देखभाल व साख सभांल करता है। उक्त वाहन के चालक द्वारा कोई अवैध कार्य कारित किया गया है तो वह मेरी जानकारी में नही है न ही मेरी सहमति के आधार पर किया जाता है। उसके द्वारा कोई वाहन से सबंधित कोई अपराधिक कार्य जानबूझकर किया जाता है तो वह स्वंय ही जिम्मेदार है। वाहन स्वामी उतरदायी नहीं है। यदि वाहन चालक वाहन स्वामी की अनुमति के बिना कोई ऐसा गैर कानूनी कार्यवाही करता है तो वह स्वयं उसके लिये उतरदायी है। जहॉ पर सिलेण्डर पाए गए उस स्थान से विपरीत मेरा चलता वाहन रसद विभाग द्वारा रोका गया। मैनें व मेरे वाहन चालक द्वारा किसी प्रकार का कोई गैर कानूनी कार्य नहीं किया है अतः अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे। अप्रार्थी का कब्जे राज लिया गया एलपीजी टेंकर वाहन सं. आर.जे.18 जी.बी. 4826 लौटाने के आदेश फरमाया जावे।

हमने उभय पक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध फर्द दस्तावेजात, फर्द मौका एवं जप्ती, सुपुर्दगीनामा तथा अप्रार्थी की बहस में प्रकट तथ्यों पर विचार किये जाने पर पाया कि दिनांक 12.12.22 को जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर मय प्रवर्तन स्टॉफ, एवं डी.एस.टी पुलिस दल अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग एन एच 8 होटल सहयोग ग्राम मांगलियावास के पास एल.पी.जी टैंकर से गैस सिलेण्डरो में गैस रिफलिंग की सूचना पर मौके पर पहुॅचकर जांच कार्यवाही की गयी जिसमें एक बडा एल.पी.जी. टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे.18 जी.बी. 4826 भारत पैट्रोलियम कम्पनी के वाल्व से एक जुगाड यन्त्र से जोडकर एक साथ पॉच सिलेण्डरो में गैस भरते पाया गया। मौके पर उपस्थित पाये गए श्री नरेन्द्र जैन पुत्र श्री कॅवरीलाल जैन, निवासी मागंलियावास ने यह स्थान किराये पर लेना एवं एल.पी.जी. टैंकर से गैस निकालकर सिलेण्डरो में रिफलिंग करना एवं गैस सिलेण्डरो को विक्रय करने का व्यवसाय करना पाया। इस कार्य में नरेन्द्र जैन के साथ उसका पुत्र कालू उर्फ अनुज जैन भी यह व्यवसाय करता है जो मौके पर जॉच दल को देखकर भाग गया। वरवक्त जांच मौके पर राजकुमार गहलोत उर्फ राजू गहलोत निवासी श्रृंगार चंवरी एक टैम्पों रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे. 36 जी.ए 4399 में 26 सिलेण्डर व्यावसायिक श्रेणी के क्षमता 19 किग्रा लेकर श्री नरेन्द्र जैन के पास भरवाने आया। वरवक्त जॉच एल.पी.जी. टैंकर आर.जे. 18 जी.बी 4826 के पास जमीन पर 41

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट * अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

सिलेण्डर रखे पाये गये जिनमें 39 व्यवसायिक श्रेणी के एन.डी. एवं 02 घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर होना पाये, जिनकी जॉच में 26 सिलेण्डर एन.डी. एवं 01 घरेलू सिलेण्डर गैस भरा होना पाया तथा 13 एन.डी. एवं 01 घरेलू सिलेण्डर खाली पाया। सिलेण्डरो की जॉच करने एवं तोल करवाये जाने पर सिलेण्डरो में कुल 500 किग्रा 300 ग्राम एल.पी.जी. भरा होना पाया। उक्त टैंकर एवं सिलेण्डरो के पास एक जुगाड पाईप दो इंच मोटाई का जिसमें एक और फ्लैंच व दूसरी ओर पांच रिफलिंग शॉकेट मय वाल्व फिटेड पाया गया तथा एक रिंच पाना, एक प्लेटफार्म कान्टा भी रखा पाया गया जो कि गैस सिलेण्डरो का वजन करने में प्रयुक्त किया जाता है। इसी परिसर में एक कोने में बने कमरे में 07 घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर लाल रंग के खाली रखे पाये है तथा सिलेण्डरो के साथ कमरे में एक प्लेटफार्म कान्टा, एक फिक्स पाना, एक रिंच पाना, एक पलाश, एक गैस भट्टी, एक हैयर ड्रायर एवं एक इलेक्ट्रिक बोर्ड मय केबल जुडा पाया गया। इसी परिसर में एक वाहन टैम्पों आर.जे.36 जी.ए 4399 जो राजकुमार गहलोत लेकर आया उसमें 26 एन.डी. सिलेण्डर रखे है कि जॉच करने पर सभी व्यवसायिक श्रेणी क्षमता 19.0 किग्रा होना पाया तथा सभी सिलेण्डर खाली होना पाया गया। वक्त जॉच से भारत पेट्रोलियम कम्पनी के अधिकारियों को सूचित करने पर उनके प्रतिनिधि श्री दिपेन्द्र डिप्टी मैनेजर प्लान्ट बी.पी.सी.एल लवेरा अजमेर मौके पर उपस्थित हुए तथा एल.पी.जी. टैंकर आर.जे. 18 जी.बी. 4826 की जॉच की तथा टैंकर में रखे दस्तावेज निकालकर जानकारी दी कि वाहन का मालिक प्रदीप गुप्ता ई 42, मंगोलपुरी इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज 02, नई दिल्ली 110063 है तथा यह टैंकर मुन्द्रा एल.पी.जी. टर्मिनल गुजरात से दिनांक 11.12.22 को समय सुबह 6.10 बजे रवाना हुआ, जिसमें 17465 किग्रा एल.पी.जी. भरकर अजमेर एल.पी.जी प्लान्ट भारत पेट्रोलियम को सप्लाई के लिए रवाना हुआ जिसका वाहन चालक सुबेसिह पुत्र रामसिंह पता मैनपुरा सवाईमाधोपुर राजस्थान है, वक्त जॉच उपस्थित व्यक्तियों के पास एल.पी.जी. रिफलिंग, एल.पी.जी व्यवसाय एवं एल.पी.जी भण्डारण सम्बन्धी कोई अनुज्ञापत्र व अनुमति पत्र नहीं होना पाया गया तथा इनका यह कृत्य बिना सुरक्षा मानको के गैस रिफलिंग करना मानव जीवन के लिए घोर हानिकारण व जोखिमपूर्ण है जिसमें किसी बडी दुर्घटना की प्रबल सम्भावना थी। वक्त जॉच अवैध गैस रिफलिंग कार्य प्रमाणित पाये जाने पर टैंकर संख्या आर.जे. 18 जी.बी. 4826 को मय एलपीजी लगभग 17000 किलोग्राम कब्जेराज किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से दिपेन्द्र डिप्टी प्लान्ट मैनेजर बी.पी.सी.एल अजमेर को प्लान्ट में सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किया गया ।

इस प्रकार अभियुक्तो का उक्त कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 के क्लॉज 4(1)(a)(b)(c)(d)(2) 6 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 04 अजमेर के निर्णय दिनांक 05.04.2024 की पालना में प्रकरण परं उभयपक्ष को सुना गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रकरण में दिनांक 02.08.2023 को आदेश जारी किये जा चुके हैं। माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 04 अजमेर द्वारा उनके आदेश दिनांक 05.04.2024 में आक्षेपित हाजा न्यायालय का आदेश दिनांक 02.08.2023 अपीलार्थी (अप्रार्थी संख्या 03) की हद तक अपास्त किया गया हैं। हाजा न्यायालय को कब्जे राज ली गई आवश्यक वस्तु (Essential Commidity) तथा उसके दुरूपयोग हेतु वहन किये जाने वाले वाहन के निस्तारण के अधिकार प्राप्त है। चूंकि वाहन टेंकर संख्या RJ-18-GB-4826 को 17465 लीटर एल.पी.जी सहित जप्त किया गया है। उक्त वाहनों का उपयोग उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य के परिवहन हेतु किया जा रहा था। अतः जब्तशुदा वाहन टेंकर

जिला कलक्टर,
अजमेर

संख्या RJ-18-GB-4826 पर 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख रूपये मात्र) की शास्ति आरोपित की जाती हैं। वाहन मालिक (अप्रार्थी सं. 3) द्वारा जिला रसद अधिकारी अजमेर को शास्ति राशि जमा करने पर जिला रसद अधिकारी अजमेर जब्तशुदा वाहन टेंकर संख्या RJ-18-GB-4826 मय 17465 लीटर एल.पी.जी गैस की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं होने पर नियमानुसार बाद दस्तावेज जांच के सम्बन्धित वाहन स्वामी को सुपुर्द करें। शास्ति राशि जमा नहीं कराने की दशा में जिला रसद अधिकारी अजमेर वाहन मय एल. पी.जी का नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी अजमेर को पालनार्थ प्रेषित हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर

कार्यालय जिला कलक्टर
अजमेर